[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 42/2017- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट हैं, को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविषटि में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधित करती है, अर्थात् :--

क्रम सं.	**अधिसूचना संख्या और तारीख**	**संशोधन**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	102/2007-सीमाशुल्क, तारीख 14 सितंबर, 2007, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 734(अ) तारीख 30 सितंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।	उक्त अधिसूचना में,-- (i) "विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर" शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "एकीकृत माल और सेवाकर केंद्रीय माल और सेवा कर और राज्य माल और सेवाकर केंद्रीय माल और सेवा कर और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर," शब्द, कोष्ठक रखे जाएंगे ; (ii) पैरा 2 में, शर्त (ङ) में, प्रविषटि (iii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- "परंतु 1 जुलाई, 2017 से पूर्व विक्रय किए गए मालों के लिए, यथास्थिति, समुचित विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के संदाय के साक्ष्य के दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा ।"
2.	4/99-सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1999, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 21(अ) तारीख 8 जनवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।	अधिसूचना में, "धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "धारा 3 की उपधारा (5), उपधारा (7) और उपधारा (9) के अधीन क्रमश: उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क, एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
3.	172/94-सीमाशुल्क, तारीख 30 सितंबर, 1994, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 734(अ) तारीख 30	उक्त अधिसूचना में "उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों, कोष्ठक और अंक, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर" शब्द,

	सितंबर, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।	कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :

1. मूल अधिसूचना सं. 102/2007-सीमाशुल्क, तारीख 14 सितंबर, 2007, अंतिम बार अधिसूचना सं. 93/2008-सीमाशुल्क तारीख 1 अगस्त, 2008 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 569(अ) तारीख 1 अगस्त, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
2. मूल अधिसूचना सं. 4/99-सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1999, अंतिम बार अधिसूचना सं. 2/2006-सीमाशुल्क तारीख 17 जनवरी, 2006 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 17(अ) तारीख 17 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
3. मूल अधिसूचना सं. 172/1994-सीमाशुल्क, तारीख 30 सितंबर, 1994, अंतिम बार अधिसूचना सं. 17/2010-सीमाशुल्क तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 130(अ) तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।